


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) सू.अ.अपील संख्या 69/2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामोल में जारी हुए</p>
<p>15-07-24</p>	<p>अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ निवासी 79 हनुवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे. एस. कॉलोनी जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 18/03/2024 में नायब तहसीलदार झंवर को प्रस्तुत पत्र क्रमांक 84 व 86 दिनांक 17.09.21, 91 दिनांक 24.09.2021, 98 दिनांक 04.10.21, 5 दिनांक 04.01.2022 व 49 दिनांक 08.05.2023 की प्रतियां एवं अन्य बिन्दुओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार झंवर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (तहसीलदार झंवर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार झंवर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर-ग्रामीण जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज. </p>	